

दणमान - सुनाराम 25/2013

| दिनांक | आज्ञा पत्र |
|---------|---|
| 19-2-18 | <p>पत्रावली पेश दिनांक पर हैं। अतः को पेश होगी</p> <p>वेणीय रजिस्ट्रार 5-9-18</p> |
| 20-9-18 | <p>पत्रावली पेश / कोर्ट को 39 रजि. 7, 8, 9, 11, 12, 13 को पेश करने पर 10/11/13 को 2-7-18 को पेश होगी</p> |
| 2-7-18 | <p>पत्रावली पेश / कोर्ट को 39 दिनांक 5-9-18 पर हैं। अतः पत्रावली पेश को पेश होगी</p> <p>सत्यमेव जयते</p> |
| 18-9-18 | <p>वेणीय रजिस्ट्रार को हिदायत दिनांक 5-9-18 पर हैं। अतः पत्रावली पेश को पेश होगी</p> <p>Web Copy - Not Official</p> |
| 5-11-18 | <p>पत्रावली पेश। वकील अपील को हिदायत दी गई थी कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रेशपोर्टस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जायेगी। आज दिनांक तक अपील को रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किये गये हैं इससे स्पष्ट है कि अपील को अपनी अपील के प्रति गम्भीर नहीं है। फलस्वरूप अपील अपील आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज की जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनया गया। पत्रावली फौरत शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तृतीय तक गौल दाखिल दफतर हो।</p> <p>5-11-18</p> <p>वेणीय रजिस्ट्रार पदेन राज् अपील अधिकारी सीकर</p> |



Notades
[Signature]

